रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052025-263474 CG-DL-E-29052025-263474

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

No. 310]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2025/ज्येष्ठ 8, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2025/JYAISTHA 8, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 मई, 2025

आयकर

सा.का.िन. 353(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.िन. 286(अ), दिनांक 1 मई, 2025 द्वारा प्रकाशित हुई, में:—

(i) पृष्ठ संख्या 50 पर, अनुसूची 80झङ में, पंक्ति मद "कछ" के पश्चात, एक नई पंक्ति मद "कज" अंतः स्थापित की जाएगी और तदनुसार, अनुसूची 80 झङ के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

3511 GI/2025 (1)

भनुसूची-	80-झङ	धारा 80झङ के	अंतर्गत	कटौतियाँ				
	क पूर्वोत्तर	में स्थित उपक्रम की						
_	कक	असम	कक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगः	ख का 30)		
			कक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगः	ख का 30)		
	कख	अरूणचल प्रदेश	कख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगः	ख का 30)		
			कख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगः	ख का 30)		
	कग	मणिपुर	कग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगः	ख का 30)		
			कग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगः	ख का 30)		
पता	कघ	मिजोरम	कघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगः	ख का 30)		
त कटा			कघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगः	ख का 30)		
धारा ८०झङ क अतगत कटाातया	कङ	मेघालय	कङ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगः	ख का 30)		
)झङ् व			कङ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगः			
धारा ४(कच	नागालैंड	कच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगः			
				उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगः			
	কভ	त्रिपुरा		उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगः			
			কন্ত2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगः			
	कज	सिक्किम	कज1	उपक्रम संख्या. 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगः	ख का 30)		
			कज2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगः	ख का 30)		
	कझ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों के लिए कुल कटौतियाँ (कक 1 से कज 2 का योग)					कझ	
	ख धारा 80	ब धारा 80झङ के अंतर्गत कुल कटौतियाँ (कझ)						

[अधिसूचना संख्या 51/2025/फा. सं. 370142/17/2025-टीपीएल] सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th May, 2025

INCOME-TAX

G.S.R. 353(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 286(E), dated 01st May, 2025:—

(i) at page number 114, in Schedule 80IE, after row item "ag", a new row item "ah" shall be inserted and accordingly, for the Schedule 80IE, the following schedule shall be substituted, namely: —

Sche	Schedule 80-IE Deductions under section 80-IE										
	a Dedu	luction in respect of undertaking located in North-East									
DEDUCTION U/S 80-IE		Assam	aa1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of						
	aa			Undertaking no. 1	the undertaking)						
	aa		aa2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of						
				Onder taking no. 2	the undertaking)						
		Arunachal Pradesh	ab1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of						
	ab				the undertaking)						
	""		ab2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of						
					the undertaking)						
		Manipur	ac1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of						
	ac				the undertaking)						
			ac2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of						
					the undertaking)						
		Mizoram -	ad1	Undertaking no. 1 Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of						
	ad				the undertaking)						
					(30 of Form 10CCB of						
			1	Undertaking no. 1	the undertaking) (30 of Form 10CCB of						
		Meghalaya	ae1		the undertaking)						
	ae		ae2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of						
					the undertaking)						
		Nagaland -	af1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of						
			****		the undertaking)						
	af		af2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of						
					the undertaking)						
		Tripura -	ag1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of						
					the undertaking)						
	ag		ag2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of						
					the undertaking)						
		Sikkim	ah1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of						
	ah				the undertaking)						
	an		ah2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of						
				Ü	the undertaking)						
	ai	Total deduction for undertakings located in North-east (total of									
		aa1 to ah2)		ai							
	b Total	deduction u	b								

[Notification No. 51/2025/F. No. 370142/17/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy.